FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FOR CHHATTISGARH STATE NEET UG ADMISSIONS

SECTION 1: ELIGIBILITY & DOMICILE

Q1: Who is eligible for the State Quota seats in Chhattisgarh?

ANS: You are eligible if you meet all the following criteria:

- NEET Qualification: You have a valid NEET UG 2026 score.
- Domicile: You are a bonafide resident of Chhattisgarh. You must produce a Domicile Certificate issued by a competent authority (e.g., Tehsildar or SDM) in Chhattisgarh. Note: possessing a valid Domicile Certificate is the primary proof of residency accepted during document verification.
- Education: Passed Class 12 (10+2) with Physics, Chemistry, Biology, and English.
- Minimum Marks: 50% aggregate in PCB for Unreserved category & EWS; 40% for SC/ST/OBC; 45% for General-PwD.

Q2: Can students from other states apply for MBBS/BDS in Chhattisgarh?

ANS: Yes, but only for Private Colleges. Students from other states can apply for the Management Quota seats in private medical and dental colleges. They are not eligible for Government Medical Colleges or the State Quota seats in private colleges.

Q3: Is there an age limit for admission?

ANS: You must be at least 17 years old by December 31, 2025. There is no upper age limit for appearing in NEET or admission.

Q4: Will a disability certificate issued from an NMC-recognised disability center be valid for claiming PwD status in Chhattisgarh state counselling?

ANS: No. A State Medical Board disability certificate is required for claiming PwD status for counselling. This certificate is issued by the Directorate of Medical Education, Chhattisgarh Government, Nava Raipur after application with all valid documents, investigations, and examinations by a board of experts.

Q5: Will candidates be allowed to change their status from Unreserved to EWS during the registration process of Chhattisgarh state counselling?

ANS: No. The EWS status from the NEET scorecard data of NTA will only be allowed for EWS applications. Candidates cannot claim EWS status while applying for Chhattisgarh State counselling registration.

Q6: Will category certificates issued for the SC/ST/OBC category in the Central Category (Caste) Certificate format be eligible for Chhattisgarh State counselling?

ANS: No. Only certificates issued in the Chhattisgarh state government format along with a Domicile Certificate will be eligible for claiming category reservations.

SECTION 2: COUNSELLING REGISTRATION & FEES

Q7: Are fresh registrations allowed if a candidate misses early rounds?

ANS: Round-by-round registration. Candidates are permitted to register afresh at the beginning of each specific counselling round (Round 1, Round 2, Mop-Up) if they failed to apply initially.

Q8: How much is the Online Application Fee?

ANS: You must pay a non-refundable online application fee online when applying at cgdme.in.

- Unreserved (UR) / EWS / OBC: ₹1,000 (One thousand)
- SC / ST: ₹500 (Five hundred)
- NRI Candidates: ₹10,000 (Ten thousand)

Q9: What is the Security Deposit, and is it refundable?

ANS:

- Government Colleges: ₹10,000 (UR) / ₹5,000 (Reserved Categories)
- Private Medical Colleges: ₹1,00,000
- Dental Colleges: Not required for candidates applying only for BDS.

Yes, the security deposit is refundable if you are not allotted a seat or if you join the allotted seat. It is forfeited if you are allotted a medical seat from the second round onwards (and in further rounds) and fail to report or scrutiny unfit or leave the seat.

Q 10 : If my security money is forfeited in the second round, will I be eligible for the third round?

ANS: Yes, only when you have been scrutiny fit for the allotted seat in second round. For participating in third round you will have to pay the security amount again.

Q 11 : Can a candidate edit the registration form in subsequent rounds of counselling ?

ANS: Yes, a candidate can edit registration in subsequent rounds but will have to pay the difference security deposit. Example :- A candidate register for Govt. College only in first round can apply for Govt. + Pvt. Medical college in second round and will have to pay the difference of security amount.(Rs. 1,00,000 – 10,000 = Rs. 90,000)

SECTION 3: SERVICE BOND (RURAL SERVICE)

Q12: Is there a mandatory service bond for MBBS students?

ANS: Yes. Students admitted to Government Medical Colleges must sign a service bond.

- Service Duration: The standard rule requires 1 year of state government service after completing the MBBS course.
- Exemption: There is typically no Government service bond for students admitted to Private Medical Colleges or for BDS courses.

Q13: What is the penalty amount if I break the service bond?

ANS: If you refuse the rural posting after completing your MBBS from a government college, you must pay a penalty:

- Unreserved (UR): ₹25 Lakhs
- Reserved (SC / ST / OBC): ₹20 Lakhs

(Refer to Chhattisgarh State admission rules for Medical, Dental, and Physiotherapy, Annexure 5 (A&B) Seat Leaving & Resignation Penalties.)

Q14: Can I leave my seat after admission? What is the penalty?

ANS:

- Free Exit: Usually available only in Round 1. You can resign without penalty within the stipulated time.
- After Round 2: If you are allotted a seat in Round 2 and join, or if you hold a seat past the resignation deadline, you cannot resign without penalty.

Course Leaving Penalty: If you leave the course midway (after the last date of admission for the Mop-Up round), you are liable to pay a "Seat Leaving Penalty" (often called the Discontinuation Bond). This typically equals the tuition fee for the remaining years of the course (for candidates already studying in government colleges) or a fixed penalty amount (e.g., ₹25 Lakhs) depending on the course and college type.

(Refer to Chhattisgarh State admission rules for Medical, Dental, and Physiotherapy, Annexure 5 (C) Seat Leaving & Resignation Penalties.)

SECTION 4: PRIVATE COLLEGE FEES

Q15: What is the fee structure for Private Medical Colleges?

ANS: Fees are decided by the State Fee Regulatory Committee (AFRC, under the Directorate of Technical Education, Chhattisgarh Government). For 2026, the approximate annual tuition fees are:

- MBBS (Private): ₹7.45 Lakh – ₹8.70 Lakh per year (excluding hostel/mess).
- BDS (Private): ₹2.50 Lakh – ₹2.80 Lakh per year.
- Note: Private Colleges (in Bhilai or Raipur) may have slightly different structures, so check the specific college website.

SECTION 5: SCRUTINY AND ADMISSION

Q16: What is the process for document scrutiny in Government Colleges?

ANS: Physical reporting is mandatory. Candidates allotted a seat must physically visit the designated nodal scrutiny Center with their original documents.

- Scrutiny precedes final admission: A clearance receipt from the official state scrutiny committee is required before a candidate can proceed to lock their admission at the allotted college.
- Strict timelines apply: Scrutiny must be completed within the exact time windows specified in the DME schedule.

Q17: Is admission mandatory if a seat is allocated in a Government College?

ANS: Yes.

- Mandatory seat acceptance: If a student is allocated a government MBBS seat, reporting for scrutiny and admission is strictly mandatory.
- Debarment penalty: Failing to report or scrutiny unfit after allocation leads to immediate debarment from consecutive state rounds.

Q18: Is admission mandatory if a seat is allocated in a Private College?

ANS: No, admission is not compulsory, but reporting and scrutiny of original documents at the Nodal Center is mandatory for continuing in the next rounds of counselling, and forfeiture rules apply according to the round. **The program and institute allotted in a round of counselling will not be allotted again in subsequent rounds if a candidate performs scrutiny only and denies admission in that institution.**

SECTION 6: CONVERSION OF VACANT SEATS

Q19: What happens to vacant reservation category and EWS seats?

ANS:

Category conversion is done as per rules.

(Refer to Chhattisgarh State admission rules for Medical, Dental, and Physiotherapy, Rule 8 Conversion of reserved category seats to the other reserved/unreserved category seats)

- EWS seat rules: Vacant Economically Weaker Section (EWS) seats are automatically converted and allocated to Unreserved (General) category candidates.

Q20: Who gets priority for vacant Management and NRI quota seats?

ANS: State domicile priority. Domicile candidates of Chhattisgarh receive direct priority over out-of-state applicants for any vacant seats in reserved categories under Management and NRI quotas.

SECTION 7: MISCELLANEOUS

Q21: Are re-registrations allowed?

ANS: No. You can only register once for the counselling process.

Q22: How many years of income certificate data are required to claim OBC status?

ANS: An income certificate of any one year from the past three financial years. A valid OBC state certificate and domicile certificate is mandatory.

छत्तीसगढ़ राज्य NEET UG प्रवेश के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भाग 1: पात्रता और मूल निवास

प्रश्न 1: छत्तीसगढ़ में राज्य कोटे की सीटों के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: यदि आप नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो आप पात्र हैं:

- NEET योग्यता: आपके पास NEET UG 2026 का वैध स्कोर होना चाहिए।
- मूल निवास: आप छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हों। आपके पास छत्तीसगढ़ के सक्षम अधिकारी (जैसे तहसीलदार या SDM) द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र होना चाहिए। **ध्यान दें: दस्तावेज़ सत्यापन के समय वैध मूल निवास प्रमाण-पत्र ही निवास का मुख्य प्रमाण माना जाएगा।**
- शैक्षणिक योग्यता: आपने कक्षा 12वीं (10+2) भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेज़ी विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
- न्यूनतम अंक: अनारक्षित वर्ग और EWS के लिए PCB में कुल 50%; SC/ST/OBC के लिए 40% और सामान्य-PwD के लिए 45%।

प्रश्न 2: क्या दूसरे राज्यों के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में MBBS/BDS के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, लेकिन केवल निजी कॉलेजों में। दूसरे राज्यों के विद्यार्थी निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की मैनेजमेंट कोटा सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे सरकारी मेडिकल कॉलेजों या निजी कॉलेजों की राज्य कोटा सीटों के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रश्न 3: प्रवेश के लिए क्या आयु सीमा है?

उत्तर: 31 दिसंबर 2025 तक आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष **पूर्ण** होनी चाहिए। NEET परीक्षा देने या प्रवेश लेने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

प्रश्न 4: क्या NMC से मान्यता प्राप्त दिव्यांगता केंद्र द्वारा जारी प्रमाण-पत्र छत्तीसगढ़ राज्य काउंसलिंग में PwD का लाभ लेने के लिए मान्य होगा?

उत्तर: नहीं। काउंसलिंग में PwD का लाभ लेने के लिए राज्य मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जरूरी है। सभी वैध दस्तावेज़ों, जाँचों और विशेषज्ञ बोर्ड की चिकित्सा जाँच के बाद

यह प्रमाण-पत्र संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, नवा रायपुर के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है।

प्रश्न 5: क्या छत्तीसगढ़ राज्य काउंसलिंग के पंजीयन के दौरान उम्मीदवार अपनी श्रेणी अनारक्षित से EWS में बदल सकता है?

उत्तर: नहीं। EWS के लिए केवल NTA के NEET स्कोरकार्ड में दर्ज EWS स्थिति ही मान्य होगी। छत्तीसगढ़ राज्य काउंसलिंग के पंजीयन के समय उम्मीदवार नई EWS श्रेणी का दावा नहीं कर सकता।

प्रश्न 6: क्या केंद्र सरकार के SC/ST/OBC जाति प्रमाण-पत्र के प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र छत्तीसगढ़ राज्य काउंसलिंग के लिए मान्य होगा?

उत्तर: नहीं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए केवल छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी सामजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र और मूल निवास प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

भाग 2: काउंसलिंग पंजीयन और शुल्क

प्रश्न 7: यदि कोई उम्मीदवार शुरुआती राउंड में पंजीयन नहीं कर पाया, तो क्या बाद के राउंड में नया पंजीयन कर सकता है?

उत्तर: हाँ। प्रत्येक काउंसलिंग राउंड (राउंड 1, राउंड 2 और मॉप-अप) की शुरुआत में नया पंजीयन किया जा सकता है, यदि उम्मीदवार ने पहले आवेदन नहीं किया हो।

प्रश्न 8: ऑनलाइन आवेदन शुल्क कितना है?

उत्तर: cgdme.in पर आवेदन करते समय आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

- अनारक्षित (UR) / EWS / OBC: ₹1,000 (एक हजार रुपये)
- SC / ST: ₹500 (पाँच सौ रुपये)
- NRI उम्मीदवार: ₹10,000 (दस हजार रुपये)

प्रश्न 9: सुरक्षा राशि क्या है और क्या यह वापस मिलती है?

उत्तर:

- सरकारी कॉलेज: ₹10,000 (UR) / ₹5,000 (आरक्षित वर्ग)
- निजी मेडिकल कॉलेज: ₹1,00,000
- डेंटल कॉलेज: केवल BDS के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुरक्षा राशि जमा करने की जरूरत नहीं है।

हाँ, यदि आपको कोई सीट नहीं मिलती या आप मिली हुई सीट पर प्रवेश ले लेते हैं, तो सुरक्षा राशि वापस मिलती है। लेकिन दूसरे राउंड या उसके बाद मेडिकल सीट मिलने पर यदि आप रिपोर्ट नहीं करते, दस्तावेज़ जाँच में अयोग्य पाए जाते हैं या सीट छोड़ते हैं, तो सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।

प्रश्न 10: यदि दूसरे राउंड में मेरी सुरक्षा राशि जब्त हो जाती है, तो क्या मैं तीसरे राउंड में भाग ले सकता हूँ?

उत्तर: हाँ, लेकिन केवल तब जब आप दूसरे राउंड में मिली सीट की दस्तावेज़ जाँच में योग्य पाए गए हों। तीसरे राउंड में भाग लेने के लिए आपको सुरक्षा राशि फिर से जमा करनी होगी।

प्रश्न 11: क्या उम्मीदवार बाद के काउंसलिंग राउंड में पंजीयन फॉर्म में बदलाव कर सकता है?

उत्तर: हाँ। उम्मीदवार बाद के राउंड में पंजीयन में बदलाव कर सकता है, लेकिन बढ़ी हुई सुरक्षा राशि का अंतर जमा करना होगा।

उदाहरण: यदि उम्मीदवार ने पहले राउंड में केवल सरकारी कॉलेज के लिए पंजीयन किया था, तो वह दूसरे राउंड में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे सुरक्षा राशि का अंतर जमा करना होगा (₹1,00,000 - ₹10,000 = ₹90,000)।

भाग 3: सेवा बंधपत्र (ग्रामीण सेवा)

प्रश्न 12: क्या MBBS विद्यार्थियों के लिए सेवा बंधपत्र जरूरी है?

उत्तर: हाँ। सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को सेवा बंधपत्र भरना जरूरी है।

- सेवा अवधि: सामान्य नियम के अनुसार MBBS पूरा करने के बाद 1 वर्ष तक राज्य शासन की सेवा करनी होगी।
- छूट: सामान्यतः निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और BDS पाठ्यक्रम के लिए सरकारी सेवा बंधपत्र नहीं होता।

प्रश्न 13: सेवा बंधपत्र तोड़ने पर कितनी जुर्माना राशि देनी होगी?

उत्तर: सरकारी कॉलेज से MBBS पूरा करने के बाद यदि आप ग्रामीण पदस्थापना स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह जुर्माना देना होगा:

- अनारक्षित (UR): ₹25 लाख
- आरक्षित (SC / ST / OBC): ₹20 लाख

(चिकित्सा, दंत चिकित्सा और फिजियोथेरेपी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रवेश नियम की अनुसूची 5 (A और B), सीट छोड़ने और त्यागपत्र संबंधी जुर्माना देखें।)

प्रश्न 14: क्या मैं प्रवेश लेने के बाद सीट छोड़ सकता हूँ? जुर्माना कितना होगा?

उत्तर:

- बिना जुर्माने के सीट छोड़ना: सामान्यतः यह सुविधा केवल राउंड 1 में मिलती है। तय समय-सीमा के भीतर आप बिना जुर्माने के सीट छोड़ सकते हैं।
- राउंड 2 के बाद: यदि राउंड 2 में सीट मिलने के बाद आपने प्रवेश ले लिया है, या सीट छोड़ने की अंतिम तारीख के बाद भी सीट रखी है, तो आप बिना जुर्माने के सीट नहीं छोड़ सकते।

पाठ्यक्रम छोड़ने का जुर्माना: मॉप-अप राउंड की प्रवेश की अंतिम तारीख के बाद यदि आप पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं, तो आपको 'सीट छोड़ने का जुर्माना' देना होगा। इसे Discontinuation Bond भी कहा जाता है। सामान्यतः यह शेष वर्षों की ट्यूशन फीस के बराबर हो सकता है (सरकारी कॉलेज में पहले से पढ़ रहे उम्मीदवारों के लिए) या पाठ्यक्रम और कॉलेज के प्रकार के अनुसार तय राशि, जैसे ₹25 लाख, हो सकती है।

(चिकित्सा, दंत चिकित्सा और फिजियोथेरेपी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रवेश नियम की अनुसूची 5 (C), सीट छोड़ने और त्यागपत्र संबंधी जुर्माना देखें।)

भाग 4: निजी कॉलेजों की फीस

प्रश्न 15: निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस कितनी है?

उत्तर: फीस राज्य शुल्क नियामक समिति (AFRC, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत) तय करती है। वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वार्षिक ट्यूशन फीस इस प्रकार है:

- MBBS (निजी): ₹7.45 लाख से ₹8.70 लाख प्रति वर्ष (हॉस्टल और मेस शुल्क अलग)।
- BDS (निजी): ₹2.50 लाख से ₹2.80 लाख प्रति वर्ष।
- ध्यान दें: भिलाई या रायपुर के निजी कॉलेजों की फीस में थोड़ा अंतर हो सकता है। सही जानकारी के लिए संबंधित कॉलेज की वेबसाइट देखें।

भाग 5: दस्तावेज़ जाँच और प्रवेश

प्रश्न 16: सरकारी कॉलेजों के लिए दस्तावेज़ जाँच की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: उम्मीदवार का स्वयं उपस्थित होना जरूरी है। सीट मिलने के बाद उम्मीदवार को अपने मूल दस्तावेज़ों के साथ निर्धारित नोडल दस्तावेज़ जाँच केंद्र पर जाना होगा।

- अंतिम प्रवेश से पहले दस्तावेज़ जाँच: आवंटित कॉलेज में प्रवेश पक्का करने से पहले राज्य की अधिकृत दस्तावेज़ जाँच समिति से क्लियरेंस रसीद लेना जरूरी है।
- समय-सीमा जरूरी है: DME द्वारा जारी समय-सारणी में दिए गए निश्चित समय के भीतर दस्तावेज़ जाँच पूरी करनी होगी।

प्रश्न 17: सरकारी कॉलेज में सीट मिलने पर प्रवेश लेना जरूरी है?

उत्तर: हाँ।

- सीट स्वीकार करना जरूरी: सरकारी MBBS सीट मिलने पर दस्तावेज़ जाँच और प्रवेश के लिए रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
- अगले राउंड से बाहर होने का नियम: सीट मिलने के बाद रिपोर्ट नहीं करने या दस्तावेज़ जाँच में अयोग्य पाए जाने पर उम्मीदवार को राज्य की अगली काउंसलिंग राउंड से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा।

प्रश्न 18: निजी कॉलेज में सीट मिलने पर प्रवेश लेना जरूरी है?

उत्तर: नहीं, प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगले काउंसलिंग राउंड में बने रहने के लिए नोडल केंद्र पर मूल दस्तावेज़ों के साथ रिपोर्ट करना और दस्तावेज़ जाँच कराना जरूरी है। संबंधित राउंड के अनुसार सुरक्षा राशि जब्त होने के नियम लागू होंगे। यदि उम्मीदवार केवल दस्तावेज़ जाँच कराता है और उस संस्थान में प्रवेश लेने से मना करता है, तो उस राउंड में मिला वही पाठ्यक्रम और संस्थान आगे के राउंड में दोबारा नहीं मिलेगा।

भाग 6: खाली सीटों का परिवर्तन

प्रश्न 19: आरक्षित वर्ग और EWS की खाली सीटों का क्या होगा?

उत्तर: श्रेणी परिवर्तन नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(चिकित्सा, दंत चिकित्सा और फिजियोथेरेपी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रवेश नियम का नियम 8 देखें: आरक्षित वर्ग की सीटों को दूसरे आरक्षित या अनारक्षित वर्ग में बदलना।)

- EWS सीट का नियम: खाली EWS सीटें अपने-आप अनारक्षित वर्ग की सीटों में बदल जाएँगी और मेरिट के आधार पर सभी वर्ग के उम्मीदवारों को आवंटित की जाएँगी।

प्रश्न 20: मैनेजमेंट और NRI कोटे की खाली सीटों में किसे प्राथमिकता मिलेगी?

उत्तर: छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। मैनेजमेंट और NRI कोटे में आरक्षित वर्ग की कोई सीट खाली होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों को दूसरे राज्य के उम्मीदवारों से पहले मौका मिलेगा।

भाग 7: अन्य प्रश्न

प्रश्न 21: क्या दोबारा पंजीयन किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए केवल एक बार पंजीयन किया जा सकता है।

प्रश्न 22: OBC का लाभ लेने के लिए कितने वर्षों का आय प्रमाण-पत्र चाहिए?

उत्तर: पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण-पत्र चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का वैध OBC प्रमाण-पत्र और मूल निवास प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।